न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान च्यानणमल बनाम रमेश कुमार आदि

वाद संख्या गत 228/2008 वर्तमान 216 वर्ष 2010

निर्णय दिनांक :– 16/06/2025

च्यानणमल पुत्र दामोदर, जाति माली, निवासी वार्ड नंबर 02 कस्बा तारानगर

– वादी–

बनाम

1. रमेश कुमार पुत्र पांचीलाल, जाति सोनी, निवासी वार्ड नंबर 05 गिनाणी मोहल्ला, सरदाशहर जिला चूरू
2. विमला देवी पत्नीपांचीलाल, जाति सोनी, निवासी वार्ड नंबर 05 गिनाणी मोहल्ला, सरदाशहर जिला चूरू
3. तहसीलदार तारानगर तहसील तारानगर जिला चूरू

–प्रतिवादीगण–

दावा प्राप्त करने चिरस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट व सपठित धारा 5 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम

उपस्थितः–

1. श्री रतन कुमार चाचाण एडवोकेटवादी की ओर से
2. श्री केदारमल स्वामी एडवोकेट प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की आरे से
3. पैरोकार राज तहसीलदार तारानगर।

–:: निर्णय ::–

वदी द्वारा यह वाद चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा188 सपठित धारा 5 राज उपनिवेशन अधिनियम 1954 केअन्तर्गत प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया गया है। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 358 तादादी 12–19 बीघा खसरा नंबर 1075/319 तादादी 13–02 बीघा कुल तादादी 26–01 बीघा वाके रोही कस्बा तारानगर में स्थित है। जो चारों तरफ से बाड़, सींव व खाई आदि से घेर रखी है। वादी के खेत में किसी भी प्रकार का न तो कटानी रास्ता पहले था ना ही आज मौके पर मौजुद है। वादी की खातेंदारी कृषि भूमि में मौके पर व राजस्व रिकार्ड में कोई कटानी रास्ता मौजुद नही है। वाद एक वृद्ध गरीब कृषि पेशा व्यक्ति है व हर तरह से कमजोर है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 जो वादी के खेत की दक्षीण दिशा के पड़ोसी है व पैसेवाले व राजनैतिक पहुंच वाले तथा लाठी के बदल पर वादी को तंग परेशान हर समय करते रहते है व अपनी बहुत बड़ी राजनैतिक पहुंच के कारण स्थानिय प्रशासन पर भी अपनी धाक जमा रखी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वादी के खेत की अगुणी सींव के पास

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

वादी की खड़ी फसल को नष्ट कर जबरदस्ती लाठी के बल पर रास्ता बनाने पर आमादा है तथा खुले आम धमकी दे रहे है कि हम तो तुम्हारे खेत में ट्रेक्टर चलाकर तुम्हारे खेत की अगुणी सीव के पास खड़ी फसल को ट्रेक्टर से नष्ट कर रास्ता बनाकर रहेंगे। जैसा कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 जाहिर करते हैं करने में सफल हो जाते है तो वादी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। जिसकी क्षतिपूर्ति मुन्द्रा में आंकि जानी संभव नहीं होगी व वादी अपने कानूनी व जायज अधिकारों से वंचित रह जावेगा। पक्षकारान में आपस में फौजदारी व सिविल मुकदमैबाजी बढ़ेंगी। इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है। कि प्रतिवादीगण को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा से उनके गलत कृत्य को रुकवाने के लिए पावन्द करना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादीगण संख्या 3 तहसीलदार, तारानगर को प्रतिवादीगरा के नाजायज प्रभाव में जाकर वादी के खेत में कोई रास्ता मौजूद न होते हुये भी जबरदस्ती राजनैतिक दबाव मे रास्ता कायम करने पर तुले हुये है। जिसके लिए तहसील कार्यालय से एक नोटिस जो वादी को दिनांक 20–7–2008 को मीला है। जिसमें रास्ता बावत लिखा है। सरकार के खिलाफ वाद प्रस्तुत करने से पूर्व कानूनन 2 माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन उक्त वाद में 2 माह का नोटिस देकर अगर वाद प्रस्तुत किया जाता है तो वादी को ना पुरा होने वाला नुससान होगा इसलिए उक्त वाद एक आवश्यक प्रकृति का वाद होने के कारण उक्त वाद न्यायालय में अदालत को पूर्व जनुमति धारा 80(2) सीपीसी से पेश किया जा रहा है। वादी ने प्रतिवादीगणसं. 1 व 2 को कई दफा कहा व कहलवाया कि वो वादी के खातेदारी अधिकारों में दखल अन्दाजी न करे व ना हीं कोई रास्ता वनाये व ना हीफसल आदि को नष्ट करे। तो वे कुछ दिन तक तो टाल मटोल करते रहे आखिर दिनांक 21–7–2008 को मुकाम तारानगर में ऐसा मानने से स्पष्ट इन्कार हो गये है। इसलिये यही तारीख वाद कारण व वादाधिकार वादी है। वादगत कृषि भूमि एवं पक्षकारान वाद अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण उक्त वाद का श्रवणाधिकार अदालत होता को अन्तर्गत धारा 188 आरटी एक्ट व सपठित धारा 5 उपनिवेशन अधिनियम से अदालत हाजा को प्राप्त है। अन्त में वादी ने वादी की कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 358 तादादी 12–19 बीघा खसरा नंबर 1075/319 तादादी 13–02 बीघा कुल तादादी 26–01 बीघा वाके रोही कस्बा तारानगर में से रास्ता कायम नही करने हेतु प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को चिरस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करने का निवेदन किया है।

वाद वादी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब दावा पेश किया।

प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब दावा में जाहिर किया कि प्रतिवादी का खेत खसरा संख्या 359 तादादी 09–04 बीघा कस्बा तारानगर की रोही मौजा में है। वादी का खेत खसरा संख्या 358 तादादी 12–19 बीघा का है। जो प्रतिवादीगण के खेत से उतरी दिशा में है। वादीगण खेत खसरा संख्या 358 में तारानगर से गाजुवास का रास्ता जाता है। उसी से

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

फंटकर सींव सींव पूर्वी दिशा से प्रतिवादीगण अपने खेत को आते है। यहि एकमात्र पगडंडी है। जिससे प्रतिवादीगण आवागमन हमेशा से ही करते आ रहे है। रास्तेजाने से वादी रूकावट पेदा कर रहा था। तब तहसीलदार ने कानूनन के मुताबिक वादी को नोटिस दिया गया था। वादी एवम् प्रतिवादीगण के दादा एवम् पिता के साथ रास्ते का विवाद पहले भी चला था। वादी च्यानणमल ने पगडंडी बन्द कर दी। तब पांचीलाल के पिता गोपालराम ने एक प्रार्थना–पत्र 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तहसीलदार तारानगर के समक्ष पेश किया था। जिसका मु.नं. 1/93 फैसला दिनांक 30.11.1993 को हो चुका है। जिसमें खसरा नंबर 358 में पगडंडी मौका रिपोर्ट से साबित है एवम् तहसीलदार के फैसला दिनांक 30.11.1993 से सावित है कि तारानगर से गाजुवारा जो रास्ता जाता है उसी रास्ते के वादी अपने खेत को जाता है एवम् प्रतिवादीगण भी उसी रास्ते से फंटकर अपने खेत को सींव–सींव पूर्वी दिशा से होकर जाते है। उक्त मुकदमा में गिरदावर हल्का ने मौके पर जाकर अपनी रिपोर्ट मय नक्शा तहसीलदार तारानगर को प्रस्तुत किया था। प्रतिवादीगण के पास अपने खेत में जाने का ओर कोई रास्ता नही है। चिरस्थाई निषेधाज्ञा का वाद कानूनन चल नही सकता है। तहसीलदार के फैसले की अपील जिला कलक्टर को होती है। तहसीलदार का फैसला दिनांक 30.11.1993 को प्रतिवादीगण के पक्ष में हो चुका है। अब चिरस्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत करके फैसला दिनांक 30.11.1993 पर छुपे तौर से रोक लगाना चाहते है। स्पेशिफिक रीलिफ एक्ट के प्रावधानों के मुताविक यह दावा चल नही सकता है। जो खारिज के काबिल है।

इसके अतिरिक्त किसी भी पक्षकार द्वारा कोई जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

वाद पत्र एवं जवाब दावा में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नलिखित तनकी विरचित की गई है–

तनकी सं. 1– आयाकि चिरस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 पारित की जावे की कृषि भूमि खसरा नंबर 358 तादादी 12–19 बीघा खसरा नंबर 1075/319 तादादी 13–02 बीघा कुल 26–01 बीघा वाके रोही कस्बा तारानगर में प्रतिवादीगण कोई नया रास्ता ना बनाये, ना ही वादी की फसल नष्ट करें।

जिम्मे वादीगण

तनकी सं. 2–आया कि वादी को वाद कारण हासिल नही है।

जिम्मेप्रतिवादीगण संख्या 1 व 2

तनकी सं. 3– आया कि न्यायालय को इस वाद का श्रवणाधिकार नही होने से वाद काबिल खारिज है।

जिम्मेप्रतिवादीगण संख्या 1 व 2

उभय पक्षकार द्वारा अपने समर्थन में मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये है मौखिक साक्ष्य में वादीगण की ओर से पी.डब्ल्यु 1 च्यानणमल, पी.डब्ल्यु 2 विनोद कुमार सशपथ

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

साक्ष्य लेखबद्ध करवाई है।वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 व स्वंय प्रतिवादीगण के बार–बार अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध दिनांक 25.09.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादीगण द्वारा वाद पत्र को साबित करने के लिये दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श

- EX1 संवत् 2065 की जमाबन्दी
- EX2 खसरा नंबर 358 रोही ग्राम तारानगर का नक्शा
- EX3 तहसीलदार तारानगर का नोटिस दिनांक 14.07.2008
- EX4 न्यायालय अति. जिला कलक्टर चूरू के अपील संख्या 02/2011 के निर्णय दिनांक 31.05.2011
- EX5 न्यायालय तहसीलदार तारानगर के प्रकरण संख्या 07/2011 निर्णय दिनांक 24.10.2011
- EX6 न्यायालय तहसीलदार तारानगर के निर्णय दिनांक 30.08.2011

प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध दिनांक 25.09.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही होने पर वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का वादी के खेत खसरा नंबर 358 तादादी 12–19 बीघा खसरा नंबर 1075/319 तादादी 13–02 बीघा कुल 26–01 बीघा वाके रोही कस्बा तारानगर में कोई रास्ता कभी मौजुद नही रहा है तथा ना ही वर्तमान में मौके पर मौजुद है। इस संबंध में न्यायालय अति. जिला कलक्टर चूरू के अपील संख्या 02/2011 के निर्णय दिनांक 31.05.2011, न्यायालय तहसीलदार तारानगर के प्रकरण संख्या 07/2011 निर्णय दिनांक 24.10.2011 व न्यायालय तहसीलदार तारानगर के निर्णय दिनांक 30.08.2011 द्वारा निर्णय वादी के पक्ष में किया जा चुका है। ऐसे में वादी का वाद स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश दिया जावे।

वकीलवादी की बहस पर मनन किया गयाव पत्रावली का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया तथा दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत सभी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी मौखिक बहस में वाद पत्र में दी गई प्लीडिंग को दोहराते हुये बहस की है कि वादीगण का वाद मोखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित किया गया।

इसके खण्डन में विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं. 1 व2 की ओर से जरिये जवाब दावा इसका खण्डन किया गया है तथा खसरा नंबर 358 में से पगडंडी गिरदावर हल्का की मौका रिपोर्ट में अंकित होना जाहिर करते हुए अपने तथ्यों को दस्तावेजी तोर पर तहसीलदार के फैसला दिनांक 30.11.1993 द्वारा प्रमाणित किया गया है।

दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभिवचन व मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का ससम्मान अध्ययन कर तनकी बार निर्णय किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

Jayendra

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

तनकी सं. 1–आयाकि चिरस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 पारित की जावे की कृषि भूमि खसरा नंबर 358 तादादी 12–19 बीघा खसरा नंबर 1075/319 तादादी 13–02 बीघा कुल 26–01 बीघा वाके रोही कस्बा तारानगर में प्रतिवादीगण कोई नया रास्ता ना बनाये, ना ही वादी की फसल नष्ट करें।जिसको साबित करने का भार वादी पर है।

उक्त तनकिको साबित करने का भार वादी का है जिन्होंने अपने वाद पत्र के समर्थन में दो गवाह पी.डब्ल्यु 1 च्यानणमल, पी.डब्ल्यु 2 विनोद कुमार को मौखिक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है जिन्होनें वाद की पुष्टि में यह कथन किया है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के खेत में जाने का रास्ता खसरा नंबर 358 तादादी 12–19 बीघा वाके रोही कस्बा तारानगर में से नही था तथा ना ही है। प्रतिवादीगण वल पूर्वक उनके खेत में रास्ता कायम करने पर आमादा है। जिसके लिए प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को पावन्द किया जावे की वादी के खेत में से नया रास्ता ना बनाये तथा ना ही उसकी फसल को नष्ट करे। जिसका खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावा में तहसीलदार तारानगर के निर्णय दिनांक 30.11.1993 व उसी निर्णय से संबंध पत्रावली में गिरदावर हल्का की मौका रिपोर्ट द्वारा किया गया है। जबकि उक्त निर्णय दिनांक 30.11.1993 को माननीय न्यायालय अति. जिला कलक्टर चूरू के अपील संख्या 02/2011 अनुवान चानणमल बनाम बिमलादेवी आदि में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2011 द्वारा अपास्त किया जा चुका है। तथा इसके पश्चात न्यायालय तहसीलदार तारानगर के प्रकरण संख्या 07/2011 निर्णय दिनांक 24.10.2011 व न्यायालय तहसीलदार तारानगर के निर्णय दिनांक 30.08.2011 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जा चुका है। प्रस्तुत साक्ष्यों में वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय अति. जिला कलक्टर चूरू के अपील संख्या 02/2011 अनुवान चानणमल बनाम बिमलादेवी आदि में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2011 प्रदर्श 4, न्यायालय तहसीलदार तारानगर के प्रकरण संख्या 07/2011 निर्णय दिनांक 24.10.2011 प्रदर्श 5 व न्यायालय तहसीलदार तारानगर के निर्णय दिनांक 30.08.2011 प्रदर्श 6जिसका वकील प्रतिवादी द्वारा खण्डन नही किया गया है। किसी खातेदार के खेत में से रास्ता होने तथा उक्त रास्ते को बन्द करने पर रा.का.अ. 1955 की धारा 251 के अन्तर्गत प्रार्थी तहसीलदार के यहां प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करता एवं तहसीलदार द्वारा उसका निस्तारण किया जाता है। जिसके निर्णय के विरूद्ध अपील माननीय न्यायालय जिला कलक्टर में की जाती है। यहां पर तहसीलदार तारानगर के निर्णय दिनांक 30.11.1993 की अपील माननीय न्यायालय जिला कलक्टर चूरू में की गई एंव माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 30.11.1993 के निर्णय को अपास्त कर दिया है। ऐसे में उक्त निर्णय प्रभाव शून्य हो गया तथा इसके बाद के निर्णय दिनांक 21.10.2011 व 30.08.2011 भी वादी के पक्ष में ही तय हुए है। ऐसे यह प्रमाणित होता है कि वादी के खेत में कोई रास्ता या पगडंडी नही है। इस प्रकार उक्त तनकि का विवेचन कर वादी साबित करने में सफल रहे है इसलिये उक्त तनकि को वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध में तय किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी

अन्तर्गत दर्ज प्रार्थना–पत्र न्यायालय द्वारा खारिज किये जा चुके है। इसके साथ ही आरटीएक्ट की तृतीय अनुसूची के भाग 1 के क्रम संख्या 23ग के अनुसार धारा 188 के वाद सुनने का इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार हासिल है। वादी को आरटीएक्ट की धारा 188 के अन्तर्गत वाद पेश करने का वाद कारण एंव उक्त वाद इस न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है इसलिये उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध में व वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

अतः उपरोक्त प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य तथा सम्बधित विधि का सम्मान पूर्वक अध्ययन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि वादीगण ने अपना यह वाद उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रमाणित किया है तथा प्रतिवादीगण उनके जिम्मे तनकियात को साबित करने में असफल रहे है। अतः यह वाद वादीगण डिकी किये जाने योग्य है।

–:: आदेश ::–

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार कर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को चिरस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त भूमि में राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार/वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें तथा नाजायज रास्ता कायम ना करे। पर्चा डिक्री नियमानुसार तैयार किया जाकर अलग से जारी किया गया है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नंबर से कम की जाकर तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/6/2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

राजेन्द्र कुमार(R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर, तारानगर